ग्राम पंचायत मन्दली, विकास खण्ड बंगाणा, जिला ऊना हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 4/2013 से 3/2016

भाग–एक

1. (क) प्रस्तावना :–

ग्याहरवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या : PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669, दिनांक 7.4.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हि0प्र0 को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत मन्दली, विकास खण्ड बंगाणा, जिला ऊना के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे।

प्रधान :–

क्र0 सं0	नाम	अवधि
1.	श्री महिन्द्र पाल	1.4.2013 से 22.1.2006
2.	श्रीमति कमलेश कुमारी	1.4.2013 से अघतन

सचिव :–

क्र0 सं0	नाम	अवधि
1.	श्री कमल देव	1.4.2013 से अघतन

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :–

ग्राम पंचायत के लेखाओं अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है।

क्र0 सं0	पैरा सं0	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1.	6	गृहकर के रूप में कम वसूली	0.08
2.	7	अनुदानों का उपयोग न करना	4.45
3.	10	निर्माण सामग्री को स्टॉक/स्टोर रजिस्टरों में दर्ज न करना	2.88

भाग–दो

2. वर्तमान अंकेक्षण :–

ग्राम पंचायत मन्दली, विकास खण्ड बंगाणा, जिला ऊना के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री राज कुमार, अनुभाग अधिकारी व श्री सुशील कुमार, आर्टिकल सहायक द्वारा दिनांक 18.6.2016 से 22.6.2016 तक ग्राम पंचायत कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए क्रमशः माह 10/13, 12/14, 9/15 व 3/14, 12/14, 9/15 का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3. अंकेक्षण शुल्क :–

ग्राम पंचायत मन्दली, विकास खण्ड बंगाणा, जिला ऊना के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹5400 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की ₹5400 को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0 शिमला–171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या : 175, दिनांक 18.6.2016 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत मन्दली से अनुरोध किया गया। ग्राम पंचायत मन्दली के पत्रांक संख्या : 27, दिनांक 21.6.2016 द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राशि को निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0 शिमला–171009 को प्रेषित किया गया है।

4. वित्तीय स्थिति :–

ग्राम पंचायत मन्दली द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी।

(1) स्वः स्त्रोत :–

ग्राम पंचायत मन्दली के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 स्वः स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरण :–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013–14	20448.18	75981.00	96429.18	26872	69557.18
2014–15	69557.18	93702.00	163259.18	68671	94588.18

2015–16	94588.18	102075.20	196663.38	70168	126495.38

(2) अनुदान :–

ग्राम पंचायत मन्दली के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट–'1'** में भी दिया गया है।

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013–14	483652.70	3516766	4000418.70	3458418.40	542000.30
2014–15	542000.30	2480987	3022987.30	2456962.40	566024.90
2015–16	566024.90	1940440	2506464.90	2061758.98	444705.92

4. (क) बैंक समाधान विवरणी :–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत मन्दली द्वारा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 15 की अनुपालना में मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरण तैयार नहीं किया है, जिस कारण वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अन्त में दिनांक 31.3.2016 को निम्नानुसार रोकड़ वही व बचत खातों में ₹30850 का अन्तर है।

(i)	रोकड़ वही खाता (क) पैरा 4(1) का अन्तशेष	=	126495.38
(ii)	रोकड़ वही खाता (ख) पैरा 4(2) का अन्तशेष	=	444705.92
		कुल योग	**₹571201.30**

अन्तशेष का विवरण :–

क्र0 सं0	खाता सं0	बैंक का नाम	राशि (₹)
1.	2136000100063264	पी0एन0बी0 रामपुर	41780.00
2.	2136000100046221	–यथोपरि–	33556.92
3.	2136000100047132	–यथोपरि–	1739.00
4.	20034024183	के0सी0सी0बी0 बंगाणा	460581.35
5.	1241600137	के0सी0सी0बी0 बंगाणा	50.00
6.	127468456	–यथोपरि–	1000.00
7.	297	के0सी0सी0बी0 बड़सर	880.00
8.	1986	–यथोपरि–	100.00
9.	3184	के0सी0सी0बी0 ऊना	188.28
10.	2158	के0सी0सी0बी0 बड़सर	475.75
		कुल योग	**₹540351.30**

अन्तरः– ₹571201.30–₹540351.30=₹30850

अतः उपरोक्त उल्लेखित रोकड़ वहियों व बचत खातों में अन्तर ₹30850 के कारण स्पष्ट करके व रोकड़ वहियों का बैंक खातों से मिलान/समाधान करने उपरान्त कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ख) उपरोक्त क्रम संख्या : 5 से 10 पर उल्लेखित विभिन्न बचत खातों में जमा दर्शाई राशियों से सम्बन्धित बैंकों के बचत खातों की पास बुकें सत्यापनार्थ हेतु वर्तमान अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं की गई। चर्चा के दौरान बताया गया कि उक्त खाते 20–25 साल पुराने खाते हैं। अतः उक्त खातों को सक्रिय करवाया जाए व बैंकों से राशि आहरित करके अन्य बैंक खातों में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाए। अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4.2 रोकड़ वही का बैंक खाते से मिलान न करना :–

रोकड़ वही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अविध के दौरान रोकड़ वही व बैंक खाते का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य था। अतः पंचायत द्वारा रोकड़ वहियों का बैंक खाते से मिलान न करना नियमों के विरूद्ध होने के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ वहियों का बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

5. बजट प्राक्कलन तैयार न करना :–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म–11 में पंचायत आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान पंचायत का बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था। इस प्रकार बजट प्राक्कलन तैयार/अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित था। अतः बजट प्राक्कलनों को तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

6. गृहकर के रूप में ₹0.08 की कम वसूली :–

पंचायत सचिव मन्दली द्वारा प्रदान की गई सूचना **परिशिष्ट–'1'** (क) के अनुसार गृहकर के रूप में वित्तीय वर्ष 2013–14 से 2015–16 तक वसूली गई राशि का विवरण निम्नानुसार है।

वर्ष	अथशेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2013–14	शून्य	13400	13400	शून्य	13400

2014–15	13400	13400	26800	शून्य	26800
2015–16	26800	13400	40200	40200	शून्य

गृहकर मांग एवं संग्रहण रजिस्टर की जांच करने पर पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2013–14 से 2015–16 तक 670 परिवारों से तीन वर्षों हेतु ₹20 प्रति परिवार, प्रति वर्ष की दर से केवल 2015–16 में ₹60 प्रति परिवार की दर से ₹40200 (670x60) की वसूली गई दर्शाई है, जोकि नियमों के विपरीत है, क्योंकि गृहकर की वसूली प्रत्येक वर्ष की जानी अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त परिवार रजिस्टर की जांच करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत मन्दली में 2013–14 से 2015–16 तक परिवारों की संख्या : 804 थी व प्रत्येक परिवार से ₹20 प्रति परिवार की दर से प्रति वर्ष ₹16080 (804x20) गृहकर के रूप में वसूले जाने अपेक्षित थे। अतः गृहकर की वसूली ₹16080 वार्षिक की जगह ₹13400 प्रत्येक वर्ष करने के कारण ₹2680 (16080–13400) की दर से तीन वर्षों हेतु ₹8040 (2680x3) कम वसूली हुई है, जिसके कारण स्पष्ट किए जाएं व कम वसूली की गई राशि उचित स्त्रोत से वसूल की जानी सुनिश्चित करने उपरान्त अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए। भविष्य में उक्त प्रकार की अनियमितता न दोहराने हेतु प्रभावी कार्रवाई अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए।

7. अनुदान ₹4.45 लाख का उपयोग न करना :–

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **परिशिष्ट–'1'** के अनुसार दिनांक 31.3.2016 तक अनुदान ₹444705.92 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ–साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यर्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

8. औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹7.19 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करनाः–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित हैं। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट–'2'** ('क' से 'ग') में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा

₹718727 के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूण किए बिना ही किया गया, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

9. विहित रजिस्टरों का रख–रखाव न करना :–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख–रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख–रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख–रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0 सं0	रजिस्टर/अभिलेख	फार्म सं0	संदर्भित नियम
1.	निवेश रजिस्टर	1	12
2.	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
3.	निर्माण कार्यों का रजिस्टर	31	95(1)
4.	मासिक समाधान विवरणी	15	–
5.	विभिन्न अनुदानों के लेजर खाते	7	29(1)
6.	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
7.	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
8.	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72(1)

10. पंचायत निर्माण कार्यों हेतु क्रय किए गए ₹2.88 लाख की निर्माण सामग्री को स्टॉक/स्टोर रजिस्टर में दर्ज न करना :–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69 व 70 के अनुसार क्रय/जारी किए गए सामान की प्रविष्टियां/स्टोर रजिस्टरों में की जानी अपेक्षित थी। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि परिशिष्ट–"3" (ख व ग) में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹288084 के स्टॉक/स्टोर रजिस्टरों प्राप्ति व जारी करने से सम्बन्धित प्रविष्टियां दर्ज नही की गईं। अतः अपेक्षित अभिलेख तैयार न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व अभिलेख पूर्ण कर आगामी लेखा परीक्षण में पुष्टि हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

11. रोकड़ वही का निर्माण नियमानुसार न करना :–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संपरीक्षा संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 की धारा–4 के अनुरूप लेखों का रख–रखाव ग्राम पंचायत मन्दली द्वारा नहीं किया गया है, जबकि उक्त नियम के अनुसार ग्राम पंचाय को अपनी आय के स्त्रोत हेतु खाता–क व अनुदान विशेष प्रयोजन हेतु आवंटित निधियों हेतु अलग से खाता–ख खोला जाना अनिवार्य था, लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा अपनी आय के स्त्रोत हेतु खाता–क में ही प्राप्त अनुदानों को भी दर्ज किया जा रहा है, जोकि नियमों के विपरीत है। अतः अपने आय के स्त्रोत हेतु खाता–क व अनुदान विशेष प्रयोजन हेतु आवंटित निधियों हेतु खाता–ख खोला जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

12. माप पुस्तिका में सामग्री उपयोग विवरणी तैयार न करना :–

जांच के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत मन्दली में प्रत्येक माह विकास कार्य हेतु लाखों रूपये का सामान जैसे कि रेत, बजरी, बजरा, पत्थर, सीमेंट, ईटें इत्यादि खरीदा गया है, लेकिन माप पुस्तिकाओं में सामान खपत विवरणी वास्तविक रूप में तैयार नहीं की गई है, जिसके कारण यह पुष्टि नहीं हो सकती कि जिस कार्य हेतु प्राकलन के आधार पर जितनी मात्रा में सामान खरीदा गया है। वास्तव में उतनी ही मात्रा में सामान की खपत हुई है, जोकि निर्माण कार्य नियमों के विपरीत है। अतः भविष्य में माप पुस्तिकाओं में सामान खपत विवरणी तैयार की जानी सुनिश्चित की जाए।

13. वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित न करना :–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1) के अनुरूप लेखों का रख–रखाव ग्राम पंचायत मन्दली द्वारा नहीं किया गया, जबकि उक्त नियम के अनुसार प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित करना अनिवार्य है, जिस प्रस्ताव के अन्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा व्यय करने हेतु प्राधिकृत किया गया था। ग्राम पंचायत मन्दली के व्यय वाउचरों की जांच करने पर पाया गया कि वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक उल्लेखित नहीं थी, जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित करने उपरान्त ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

14. टी0डी0एस0 की कटौती न करना :–

आयकर की धारा 194(सी0) में विहित प्रावधानों के अनुसार किसी भी वित्तीय वर्ष में किसी भी व्यक्ति संविदाकार अथवा फर्म को किए गए ₹3000 से अधिक के किसी भी एकल भुगतान

अथवा ₹75000 से अधिक सकल भुगतान पर 2% की दर से व एकल व्यक्ति की अवस्था में 1% की दर से टी0डी0एस0 की कटौती की जानी अनिवार्य है व धारा 194(सी) किसी भी कार्य हेतु किए गए सभी प्रकार के अनुबन्धों चाहे वह लिखित हो अथवा मौखिक हो पर लागू होती है, जैसे कि विज्ञापन, कैटरिंग, ट्रांसपोर्ट, लेवर, सेवा कार्य व सामान इत्यादि का अनुबन्ध है।

आयकर की धारा 194(सी) में विहित प्रावधान की अनुपालना न करते हुए ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 तक विभिन्न व्यक्तियों, ठेकेदारों व फर्मों से टी0डी0एस0 की कटौती नहीं की गई है, जिसके कारण सरकारी कोष में कई हजारों रूपये टी0डी0एस0 के रूप में कम जमा हुई राशि की गणना संस्था स्तर पर करने उपरान्त सम्पूर्ण राशि उचित स्त्रोत से वसूली करके सरकारी कोष में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाए। भविष्य में आयकर की धारा 194(सी) के प्रावधानों के अनुसार टी0डी0एस0 की कटौती की जानी सुनिश्चित की जाए।

15. खाता (ख) अनुदानों से अर्जित ब्याज को खाता (क) में अन्तरित न करना :–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(1) के अनुसार प्रति वर्ष, मास : जनवरी तथा जुलाई में पचायत द्वारा खाता (ख) से अर्जित ब्याज को पंचायत निधि के स्वयं संसाधनों के खाता (क) में अन्तरित किया जाना अपेक्षित था, परन्तु ग्राम पंचायत के खातों की जांच करने पर पाया गया कि उक्त नियम की अनुपालना नहीं की जा रही है व अनुदानों पर प्राप्त ब्याज को स्वयं संसाधनों के खाता (क) में अन्तरित नहीं किया गया। अतः उक्त नियम की अनुपालना न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व गणना करने उपरान्त खाता (ख) अनुदानों से अर्जित ब्याज को खाता (क) स्वयं संसाधनों में अन्तरित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

16. ₹452.50 का अधिक एवं गलत भुगतान :–

एकीकृत जल विभाजन प्रबन्धन कार्यक्रम निधि से वाउचर संख्या : 22, दिनांक 27.3.2014 द्वारा श्री केशव चन्द सुपुत्र श्री रोलदू राम गांव टिहरा को निम्नानुसार ₹452.50 का अधिक एवं गलत भुगतान किया गया।

सामान का विवरण	मात्रा	दर	मूल्य
शटरिंग	300 वर्ग फुट	10	3000
मिक्सर्च	4.55 दिन	450	2047.50
		योग	**5047.50**
		वास्तविक भुगतान	**5500.00**
		अधिक भुगतान	**₹452.50**

अतः उक्त अधिक एवं गलत भुगतान ₹452.50 बारे स्थिति स्पष्ट करके वसूली सम्बन्धित निधि में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

17. प्रत्यक्ष सत्यापन :–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है, जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

18. लघु आपत्ति विवरणिका :– यह अलग से जारी नहीं की गई है।

19. निष्कर्ष :– लेखों के रख–रखाव में उचित सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्या :फिन (एल0ए0)एच0(पंच)15(v)1/2016, खण्ड–1–5152–5155 दिनांकः 27.09.2016, शिमला–171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :–

1. निदेशक, पंचायती राज विभाग, हि0 प्र0, कुसुम्पटी, शिमला–09 को पैरा संख्या 1(ख) में वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2. जिला पंचायत अधिकारी ऊना, जिला ऊना हि0 प्र0
3. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड बंगाणा, तहसील बंगाणा, जिला ऊना हि0 प्र0
4. सचिव, ग्राम पंचायत मन्दली, विकास खण्ड बंगाणा, तहसील बंगाणा, जिला ऊना हि0 प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित कि जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

पंजीकृत

हस्ता/–
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.